

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड सं०-1, नॉलिज पार्क-4,
ग्रेटर नौएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०

पत्रांक: बीएचएस०६/सम्पत्ति/२०१८/११२६

दिनांक १२/०२/२०१८

निरस्तीकरण अन्तिम नोटिस

सेवामें,

Smt. Gurpreet Kaur
6-B, Shambhu Nagar
Meerut-250002

महोदय/महोदया,

आवासीय योजना BHS0674194 में भूखण्ड/भवन सं० B-17, क्षेत्रफल-250 वर्गमीटर, सैक्टर-Omicron-02 ग्रेटर नौएडा में आवंटित है, की लीज डीड कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा आपको विभिन्न पत्रों दिनांक 19.12.2008, 28.02.2011, 14.09.2012, 21.02.2013, 30.04.2013, 12.09.2013, 27.11.2015, 08.06.2017, 04.12.2017 के माध्यम से सूचित किया गया है। परन्तु उक्त भवन की आपके द्वारा वर्तमान तक लीजडीड नहीं कराई गयी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 05.02.2018 के अनुपालन में आपको लीजडीड कराने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

आपको उक्त भवन की लीज डीड निष्पादन कराने हेतु निरस्तीकरण पूर्व अन्तिम पत्र दिनांक 04.12.2017 को प्रेषित किया गया था, जिसके संदर्भ में आपके द्वारा लीजडीड दिनांक 31.12.2017 तक नहीं निष्पादित करायी गयी है। पत्र के साथ अतिरिक्त प्रतिकर एवं Dues Payment Intimation संलग्न है। भवन का निम्नानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण कर दिनांक 30.04.2018 तक लीजडीड कराना सुनिश्चित करें।

250 वर्ग मीटर का दिनांक 30.04.2018 तक का विलम्ब शुल्क एवं अन्य शुल्क विवरण

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
1.	लेट लीजडीड विलम्ब शुल्क	26,42,476.00
2.	लीज रेंट	10,37,50.00
3.	वाटर/सीवर चार्ज	16,280.00
4.	दस्तावेज शुल्क	500.00

अतः उक्त पत्र के संदर्भ में नियत दिनांक 30.04.2018 तक लीज डीड निष्पादन न कराने की दशा में भवन निरस्तीकरण की श्रेणी में है अतः भवन का आवंटन दिनांक 30.04.2018 के पश्चात आवंटन पत्र/ब्रोशर की शर्त अनुभाग (4) की उप शर्त "आई" के अनुसार आवंटित भूखण्ड/भवन के सापेक्ष जमा समस्त धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्तीकरण कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी।

प्रबन्धक, सम्पत्ति
ग्रेटर नौएडा।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड सं०-1, नॉलिज पार्क-4,
ग्रेटर नौएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०

पत्रांक: बीएचएस०६/सम्पत्ति/२०१८/११२९

दिनांक 12/02/2018

निरस्तीकरण अन्तिम नोटिस

सेवामें,

Sh. Deepak Chauhan
B-4/3136 Vasant Kunj
New Delhi-110070

महोदय/महोदया,

आवासीय योजना BHS0674121 में भूखण्ड/भवन सं० A-104, क्षेत्रफल-250 वर्गमीटर, सैक्टर-Omicron-02 ग्रेटर नौएडा में आवंटित है, की लीज डीड कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा आपको विभिन्न पत्रों दिनांक 08.07.2009, 28.02.2011, 14.09.2012, 21.02.2013, 12.09.2013, 27.11.2015, 08.06.2017, 04.12.2017 के माध्यम से सूचित किया गया है। परन्तु उक्त भवन की आपके द्वारा वर्तमान तक लीजडीड नहीं कराई गयी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 05.02.2018 के अनुपालन में आपको लीजडीड कराने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

आपको उक्त भवन की लीज डीड निष्पादन कराने हेतु निरस्तीकरण पूर्व अन्तिम पत्र दिनांक 04.12.2017 को प्रेषित किया गया था, जिसके संदर्भ में आपके द्वारा लीजडीड दिनांक 31.12.2017 तक नहीं निष्पादित करायी गयी है। पत्र के साथ अतिरिक्त प्रतिकर एवं Dues Payment Intimation संलग्न है। भवन का निम्नानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण कर दिनांक 30.04.2018 तक लीजडीड कराना सुनिश्चित करें।

250 वर्ग मीटर का दिनांक 30.04.2018 तक का विलम्ब शुल्क एवं अन्य शुल्क विवरण

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
1.	लेट लीजडीड विलम्ब शुल्क	26,42,476.00
2.	लीज रेंट	10,37,50.00
3.	वाटर/सीवर चार्ज	16,280.00
4.	दस्तावेज शुल्क	500.00

अतः उक्त पत्र के संदर्भ में नियत दिनांक 30.04.2018 तक लीज डीड निष्पादन न कराने की दशा में भवन निरस्तीकरण की श्रेणी में है अतः भवन का आवंटन दिनांक 30.04.2018 के पश्चात आवंटन पत्र/ब्रोशर की शर्त अनुभाग (4) की उप शर्त "आई" के अनुसार आवंटित भूखण्ड/भवन के सापेक्ष जमा समस्त धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्तीकरण कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी।

प्रबन्धक, सम्पत्ति
ग्रेटर नौएडा।

१८

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड सं०-1, नॉलिज पार्क-4,
ग्रेटर नौएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०

पत्रांक: बीएचएस०६/सम्पत्ति/२०१८/॥३०

दिनांक 12/02/2018

निरस्तीकरण अन्तिम नोटिस

सेवामें,

Smt. Reenu Kumari
W/o Rakesh Kumar
Flat No. B-2, Plot No.-03
Road No.-71, West Panjabi Bagh
New Delhi-110026

महोदय/महोदया,

आवासीय योजना BHS0674106 में भूखण्ड/भवन सं० A-89, क्षेत्रफल-250 वर्गमीटर, सैक्टर-Omicron-02 ग्रेटर नौएडा में आवंटित है, की लीज डीड कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा आपको विभिन्न पत्रों दिनांक 01.12.2009, 28.02.2011, 14.09.2012, 21.02.2013, 30.04.2013, 12.09.2013, 27.11.2015, 08.06.2017, 04.12.2017 के माध्यम से सूचित किया गया है। परन्तु उक्त भवन की आपके द्वारा वर्तमान तक लीजडीड नहीं कराई गयी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 05.02.2018 के अनुपालन में आपको लीजडीड कराने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

आपको उक्त भवन की लीज डीड निष्पादन कराने हेतु निरस्तीकरण पूर्व अन्तिम पत्र दिनांक 04.12.2017 को प्रेषित किया गया था, जिसके संदर्भ में आपके द्वारा लीजडीड दिनांक 31.12.2017 तक नहीं निष्पादित करायी गयी है। पत्र के साथ अतिरिक्त प्रतिकर एवं Dues Payment Intimation संलग्न है। भवन का निम्नानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण कर दिनांक 30.04.2018 तक लीजडीड कराना सुनिश्चित करें।

250 वर्ग मीटर का दिनांक 30.04.2018 तक का विलम्ब शुल्क एवं अन्य शुल्क विवरण

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
1.	लेट लीजडीड विलम्ब शुल्क	26,42,476.00
2.	लीज रेंट	10,37,50.00
3.	वाटर/सीवर चार्ज	16,280.00
4.	दस्तावेज शुल्क	500.00

अतः उक्त पत्र के संदर्भ में नियत दिनांक 30.04.2018 तक लीज डीड निष्पादन न कराने की दशा में भवन निरस्तीकरण की श्रेणी में है अतः भवन का आवंटन दिनांक 30.04.2018 के पश्चात आवंटन पत्र/ब्रोशर की शर्त अनुभाग (4) की उप शर्त "आई" के अनुसार आवंटित भूखण्ड/भवन के सापेक्ष जमा समस्त धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्तीकरण कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी।

प्रबन्धक, सम्पत्ति
ग्रेटर नौएडा।

१८

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड सं०-1, नॉलिज पार्क-4,
ग्रेटर नौएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०

पत्रांक: बीएचएस०६/सम्पत्ति/२०१८/॥३८

दिनांक १२/०८/२०१८

निरस्तीकरण अन्तिम नोटिस

सेवामें,

Shri Ramesh Kumar Mathoo
102/7 Vikas Nagar Patoli
Jammu. J&K-180007

महोदय/महोदया,

आवासीय योजना BHS0672241 में भूखण्ड/भवन सं० A-241, क्षेत्रफल-70 वर्गमीटर, सैक्टर-MU-01 ग्रेटर नौएडा में आवंटित है, की लीज डीड कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा आपको विभिन्न पत्रों दिनांक 7.3.2011, 13.09.2012, 13.02.2013, 30.04.2013, 27.11.2015, 08.06.2017, 04.12.2017 के माध्यम से सूचित किया गया है। परन्तु उक्त भवन की आपके द्वारा वर्तमान तक लीजडीड नहीं कराई गयी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 05.02.2018 के अनुपालन में आपको लीजडीड कराने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

आपको उक्त भवन की लीज डीड निष्पादन कराने हेतु निरस्तीकरण पूर्व अन्तिम पत्र दिनांक 04.12.2017 को प्रेषित किया गया था, जिसके संदर्भ में आपके द्वारा लीजडीड दिनांक 31.12.2017 तक नहीं निष्पादित करायी गयी है। पत्र के साथ अतिरिक्त प्रतिकर एवं Dues Payment Intimation संलग्न है। भवन का निम्नानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण कर दिनांक 30.04.2018 तक लीजडीड कराना सुनिश्चित करें।

70 वर्ग मीटर का दिनांक-30.04.2018 तक का विलम्ब शुल्क एवं अन्य शुल्क विवरण

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
1.	लेट लीजडीड विलम्ब शुल्क	7,76,790.00
2.	लीज रेंट	29,050.00
3.	वाटर/सीवर चार्ज	14,550.00
4.	दस्तावेज शुल्क	500.00

अतः उक्त पत्र के संदर्भ में नियत दिनांक 30.04.2018 तक लीज डीड निष्पादन न कराने की दशा में भवन निरस्तीकरण की श्रेणी में है अतः भवन का आवंटन दिनांक 30.04.2018 के पश्चात आवंटन पत्र/ब्रोशर की शर्त अनुभाग (4) की उप शर्त "आई" के अनुसार आवंटित भूखण्ड/भवन के सापेक्ष जमा समस्त धनराशि जमा करते हुए आवंटन निरस्तीकरण कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी।

प्रबन्धक, सम्पत्ति
ग्रेटर नौएडा।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड सं०-1, नॉलिज पार्क-4,
ग्रेटर नौएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०

पत्रांक: बीएचएस०६/सम्पत्ति/२०१८/१२८८

दिनांक १२/०२/२०१८

निरस्तीकरण अन्तिम नोटिस

सेवामें,

Smt. Neeru Singh
PNB E K Road
Meerut-

महोदय/महोदया,

आवासीय योजना BHS0674157 में भूखण्ड/भवन सं० A-140, क्षेत्रफल-250 वर्गमीटर , सैक्टर-Omicron-02 ग्रेटर नौएडा में आवंटित है , की लीज डीड कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा आपको विभिन्न पत्रों दिनांक 19.12.2008, 7.10.2010, 28.02.2011, 18.04.2011, 14.09.2012, 21.02.2013, 30.04.2013, 12.08.2013, 27.11.2015, 08.06.2017, 04.12.2017 के माध्यम से सूचित किया गया है। परन्तु उक्त भवन की आपके द्वारा वर्तमान तक लीजडीड नहीं कराई गयी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 05.02.2018 के अनुपालन में आपको लीजडीड कराने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

आपको उक्त भवन की लीज डीड निष्पादन कराने हेतु निरस्तीकरण पूर्व अन्तिम पत्र दिनांक 04.12.2017 को प्रेषित किया गया था , जिसके संदर्भ में आपके द्वारा लीजडीड दिनांक 31.12.2017 नहीं निष्पादित करायी गयी है। पत्र के साथ अतिरिक्त प्रतिलिपि एवं Dues Payment Intimation संलग्न है। भवन का निम्नानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण कर दिनांक 30.04.2018 तक लीजडीड कराना सुनिश्चित करें।

250 वर्ग मीटर का दिनांक 30.04.2018 तक का विलम्ब शुल्क एवं अन्य शुल्क विवरण

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
1.	लेट लीजडीड विलम्ब शुल्क	26,42,476.00
2.	लीज रेंट	10,37,50.00
3.	वाटर/सीवर चार्ज	16,280.00
4.	दस्तावेज शुल्क	500.00

अतः उक्त पत्र के संदर्भ में नियत दिनांक 30.04.2018 तक लीज डीड निष्पादन न कराने की दशा में भवन निरस्तीकरण की श्रेणी में है अतः भवन का आवंटन दिनांक 30.04.2018 के पश्चात आवंटन पत्र/ब्रोशर की शर्त अनुभाग (4) की उप शर्त "आई" के अनुसार आवंटित भूखण्ड/भवन के सापेक्ष जमा समस्त धनराशि जब करते हुए आवंटन निरस्तीकरण कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी।

प्रतिलिपि:-

Smt. Neeru Singh,
66-A Police Line Road,
Agra-282002


12.2.18
प्रबन्धक, सम्पत्ति
ग्रेटर नौएडा।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुखण्ड सं०-1, नॉलिज पार्क-4,
ग्रेटर नौएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०

पत्रांक: बीएचएस०६/सम्पत्ति/२०१८/१३१

दिनांक १२/०२/२०१८

निरस्तीकरण अन्तिम नोटिस

सेवामें,

Smt. Anurag Gupta
W/o Devinder P Khajuria
110, Shivalik Duplex
Sector-35, Noida

महोदय/महोदया,

आवासीय योजना BHS0674184 में भूखण्ड/भवन सं० B-7, क्षेत्रफल-250 वर्गमीटर, सैक्टर-Omicron-02 ग्रेटर नौएडा में आवंटित है, की लीज डीड कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा आपको विभिन्न पत्रों दिनांक 19.12.2008, 7.10.2010, 28.02.2011, 14.09.2012, 21.02.2013, 30.04.2013, 12.09.2013, 27.11.2015, 16.5.16 08.06.2017, 04.12.2017 के माध्यम से सूचित किया गया है। परन्तु उक्त भवन की आपके द्वारा वर्तमान तक लीजडीड नहीं कराई गयी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 05.02.2018 के अनुपालन में आपको लीजडीड कराने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

आपको उक्त भवन की लीज डीड निष्पादन कराने हेतु निरस्तीकरण पूर्व अन्तिम पत्र दिनांक 04.12.2017 को प्रेषित किया गया था, जिसके संदर्भ में आपके द्वारा लीजडीड दिनांक 31.12.2017 तक नहीं निष्पादित करायी गयी है। पत्र के साथ अतिरिक्त प्रतिकर एवं Dues Payment Intimation संलग्न है। भवन का निम्नानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण कर दिनांक 30.04.2018 तक लीजडीड कराना सुनिश्चित करें।

250 वर्ग मीटर का दिनांक 30.04.2018 तक का विलम्ब शुल्क एवं अन्य शुल्क विवरण

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
1.	लेट लीजडीड विलम्ब शुल्क	26,42,476.00
2.	लीज रेंट	10,37,50.00
3.	वाटर/सीवर चार्ज	16,280.00
4.	दस्तावेज शुल्क	500.00

अतः उक्त पत्र के संदर्भ में नियत दिनांक 30.04.2018 तक लीज डीड निष्पादन न कराने की दशा में भवन निरस्तीकरण की श्रेणी में है अतः भवन का आवंटन दिनांक 30.04.2018 के पश्चात आवंटन पत्र/ब्रोशर की शर्त अनुभाग (4) की उप शर्त “आई” के अनुसार आवंटित भूखण्ड/भवन के सापेक्ष जमा समस्त धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्तीकरण कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी।


प्रबन्धक, सम्पत्ति
ग्रेटर नौएडा।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड सं०-1, नॉलिज पार्क-4 ,
ग्रेटर नौएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०

पत्रांक: बीएचएस०६/सम्पत्ति/२०१८/१२७

दिनांक १२/०२/२०१८

निरस्तीकरण अन्तिम नोटिस

सेवामें,

Shri Sanjiv Goel
R/o Naveeta Road
Karnal, Haryana-132001
Ph. No.-9812052844

महोदय/महोदया,

आवासीय योजना BHS0674091 में भूखण्ड/भवन सं० A-74, क्षेत्रफल-250 वर्गमीटर, सैक्टर-Omicron-02 ग्रेटर नौएडा में आवंटित है, की लीज डीड कराने हेतु प्राधिकरण द्वारा आपको विभिन्न पत्रों दिनांक 11.11.2009, 28.02.2011, 14.09.2012, 21.02.2013, 30.04.2013, 12.09.2013, 27.11.2015, 08.06.2017, 04.12.2017, 12.01.2018, 02.02.2018 के माध्यम से सूचित किया गया है। परन्तु उक्त भवन की आपके द्वारा वर्तमान तक लीजडीड नहीं कराई गयी है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 05.02.2018 के अनुपालन में आपको लीजडीड कराने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

आपको उक्त भवन की लीज डीड निष्पादन कराने हेतु निरस्तीकरण पूर्व अन्तिम पत्र दिनांक 04.12.2017 को प्रेषित किया गया था, जिसके संदर्भ में आपके द्वारा लीजडीड दिनांक 31.12.2017 तक नहीं निष्पादित करायी गयी है। पत्र के साथ अतिरिक्त प्रतिकर एवं Dues Payment Intimation संलग्न है। भवन का निम्नानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण कर दिनांक 30.04.2018 तक लीजडीड कराना सुनिश्चित करें।

250 वर्ग मीटर का दिनांक 30.04.2018 तक का विलम्ब शुल्क एवं अन्य शुल्क विवरण

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
1.	लेट लीजडीड विलम्ब शुल्क	26,42,476.00
2.	लीज रेंट	10,37,50.00
3.	वाटर/सीवर चार्ज	16,280.00
4.	दस्तावेज शुल्क	500.00

अतः उक्त पत्र के संदर्भ में नियत दिनांक 30.04.2018 तक लीज डीड निष्पादन न कराने की दशा में भवन निरस्तीकरण की श्रेणी में है अतः भवन का आवंटन दिनांक 30.04.2018 के पश्चात आवंटन पत्र/ब्रोशर की शर्त अनुभाग (4) की उप शर्त “आई” के अनुसार आवंटित भूखण्ड/भवन के सापेक्ष जमा समस्त धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्तीकरण कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी।

प्रबन्धक, सम्पत्ति
ग्रेटर नौएडा।